FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

धूड़ाराम बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती एवं रिकार्ड मु0नं0 345 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/738

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08-07-2025	रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री बलराम सैनी उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 06/08/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/9/25 को पेश हो।	
15/09/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। वकील प्रार्थी ने दस्तावेजों की सूची कुल दस्तावेज 05 पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न व पेशशुदा दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी अपने भाई का गलत दर्ज नाम "श्योला पुत्र झूंथा" की जगह "पप्पुराम पुत्र झूंथाराम" दुरूस्त करवाना चाहता हैं जिसके साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड, जनआधार, राशन कार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि पेश किये हैं। तहसीलदार नीमकाथाना ने अपनी रिपोर्ट में वादी के मृतक भाई श्योला (पप्पुराम) के विधिक वारिसान की सहमति पर नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताया हैं। इस बाबत प्रार्थी धूड़ाराम ने मृतक भाई का वारिसनामा पेश कर भाई पप्पूराम उर्फ श्योला के अविवाहित फौत होना जाहिर किया हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:49:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

तन ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1590 रकबा 0.05 है0 में वादी के भाई का गलत दर्ज नाम ''श्योला पुत्र झूंथा'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''पप्पूराम पुत्र झूंथाराम'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:49:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. धूड़ाराम पुत्र झूंथा जाति जाट निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं. 345 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री बलराम सैनी, श्री शाहरूख खान एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1590 रकबा 0.05 है0 में वादी के भाई का गलत दर्ज नाम "श्योला पुत्र झूंथा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "पप्पूराम पुत्र झूंथाराम" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 15 माह 09 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर))

दस्तखत..............

ओहदा..............

(मुहर: राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर))

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी में [illegible] चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:49:52 IST
Reason: SelfAttested